BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 23 जुलाई, 2025 **थाना पहासु**

सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 06 मोबाइल फोन, फर्जी कूटरचित नियुक्ति पत्र, आई कार्ड, भर्ती विज्ञापन, सरकारी विभाग टोपी, बेल्ट आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 23.07.2025 को थाना पहासु पुलिस व स्वाट टीम देहात द्वारा एक अभिसुचना पर ग्राम कसूमी मोड से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य को 06 मोबाइल फोन, फर्जी कूटरचित नियुक्ति पत्र, आई कार्ड, भर्ती विज्ञापन, सरकारी विभाग टोपी, बेल्ट आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना पहासु पर मुअसं- 231/25 धारा 318(4)/ 336(3)/ 340(2)/ 127(4)/ 351(2)/ 338/ 3(5) बीएनएस पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. नीरज यादव पुत्र घीसन यादव निवासी बिचऊपुर मरहा थाना कम्पीरगंज जनपद गोरखपुर (वर्तमान पता F-ब्लाक मकान नं0 333/335(ख) सरीपुरा आलम नगर थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ) ।
2. सत्येश कुमार उर्फ सतीश पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी प्रभात नगर सामने थाना गांधी पार्क धनीपुर मंडी जीटी रोड अलीगढ़ ।
3. हिमांशू बौद्ध पुत्र विजय बौद्ध निवासी 539(ख)/878 छोटी जुगौली थाना गोमतीनगर लखनऊ ।

बरामदगी का विवरणः-

1. 20 आधार कार्ड, 06 परिचय पत्र, 04 पोस्टिंग लेटर, 18 नियुक्ति पत्र, उ0प्र0 सचिवालय से सम्बन्धित पत्र, प्रशिक्षण से सम्बन्धित पत्र, 05 प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, 12 पदस्थापना आदेश व अन्य प्रपत्र, 04 चरित्र प्रमाण पत्र, 26 रिक्ति/विज्ञप्ति पत्र, 04 निवास प्रमाण पत्र, 06 अकं पत्र, 04 आज प्रमाण पत्र, 06 बुलावा पत्र, 01 पहचाल पत्र
2. 06 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर बेरोजगार युवको से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की जाती हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त नीरज यादव उनका मुखिया है। जसे वे एसटीएफ में अधिकारी बताते हैं अभियुक्त सत्येश कुमार उर्फ सतीश बेरोजगार युवको को सरकारी नौकरी लगवाने का लालच देकर हमारे पास लेकर आता है तथा यही अपने खाते में व नगद पैसों का लेन-देन करता है फिर हम तीनों अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनको असल के रुप में उन युवको के पास भेज देते हैं और कई लड़कों को तो हम उस विभाग में भेज भी देते थे तथा जो भी रुपया लड़कों से मिलता है उसे हम बराबर-बराबर आपस में बांट लेते हैं। हमारा एक अन्य साथी डीआरएम आफिस रेलवे लखनऊ में ड्राइवर है, जिसे यूपीआई के माध्यम से अभियुक्त सत्येश कुमार उर्फ सतीश द्वारा उसके हिस्से के 3 लाख 50 हजार रुपये भेजे गये थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अशोक कुमार थानाध्यक्ष थाना पहासु
2. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह बालियान, उ0नि0 श्री महक सिंह बालियान , उ0नि0 श्री संजय सिंह, उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
3. है0कां0 सिद्धार्थ यादव , कां0 धर्मेन्द्र सिंह , कां0 लोकेश कुमार , कां0 रामलखन

स्वाट देहात टीम-

1. श्री पम्मी चौधरी प्रभारी स्वाट टीम देहात
2. है0कां0 नितिन शर्मा, है0कां0 नेत्रपाल राणा, है0कां0 कुलदीप कुमार, है0कां0 अरुण कुमार, कां0 मनीष कुमार, कां0 आकाश कुमार, कां0 अजय सोलंकी, कां0 विपिन कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर।